न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 03/2022 (2022/8)

प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता :–

1. घमण्डाराम पुत्र अणदाराम जाति मेघवाल
2. रामसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत
   निवासीगण उटाम्बर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत उटाम्बर जरिये सरपंच तहसील बालेसर जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालसेर जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत उटाम्बर, दिनांक 19.09.2002 जो पत्रावली संख्या नील में कार्यवाही करते हुए पट्टा संख्या 11 निःशुल्क कुल 6828.55 वर्गगज का सार्वजनिक गायों का गवाड़ मार्फत ग्राम पंचायत उटाम्बर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :

1. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार (प्रार्थीगण)।
2. अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा (अप्रार्थी संख्या 01)।
3. अप्रार्थी संख्या 02 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश **दिनांक :–30.03.2022**

प्रार्थीगण ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 आदेश ग्राम पंचायत उटाम्बर द्वारा दिनांक 19.09.2002 जो पत्रावली संख्या नील में कार्यवाही करते हुए पट्टा संख्या 11 निःशुल्क कुल 6828.55 वर्गगज का सार्वजनिक गायों का गवाड़ मार्फत ग्राम पंचायत उटाम्बर द्वारा जारी किया गया, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि गांव उटाम्बर में आबादी भूमि खसरा नं0 173 में आई हुई है इस आबादी भूमि के उत्तर में गै0 मु0 सड़क खसरा नं0 52 आकर निकलती है व इस आबादी भूमि के उत्तरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:33 IST
Reason: SelfAttested

सीमा के सामानान्तर उटाम्बर संतोड़ा रोड़ चलती है। सड़क खसरा नं0 52 के पश्चिम में खसरा नं0 51/2 आबादी भूमि स्थित है व इसी प्रकार एक और सड़क खसरा नं0 235 गै0 मु0 नाड़े में से चलकर आबादी में से होती हुई आगे जाती है। हाल ही में ग्राम पंचायत उटाम्बर द्वारा खसरा नं0 51/2 व सड़क खसरा नं0 52 व खसरा नं0 235 में बनी हुई सड़क की भूमि को सम्मिलित करते हुए चार दिवारी बनाने की योजना बनाई व राज्य सरकार से इस हेतु राशि स्वीकृत करवाई। प्रार्थीगण ने इस बारे में एतराज किया कि वे सड़क, नाडी की भूमि को सम्मिलित करते हुए कैसे चार दिवारी का निर्माण कर रहे है तो सरपंच द्वारा बताया गया कि इस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है तब प्रार्थीगण ने उक्त पट्टे की नकल, मिसल व कार्यवाही रजिस्टर की नकल मांगी तो ग्राम पंचायत ने बतलाया कि ऐसी कोई मिसल व कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। ग्राम सेवक ने पट्टा रजिस्टर में से पट्टे की फोटो प्रति उपलब्ध करवाई। पट्टे की फोटोप्रति प्राप्त होने पर उसकी पुश्त पर बने नक्शे का अवलोकन किया एवं पट्टे में वर्णित पड़ौस का मौके पर मिलान किया तो पाया गया की उक्त पट्टा की उक्त पट्टा खसरा नं0 173 आबादी भूमि का नहीं होकर बल्कि दो रास्तों की भूमि एवं नाड़े की भूमि को मिलाकर दे दिया गया एवं इस पट्टे के आधार पर सरपंच चार दिवारी बनाने पर आमादा है, जिससे व्यथित होकर यह पंचायत निगरानी पेश की है।

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत उटाम्बर से मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 22.03.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार ने बहस में बतलाया कि गांव उटाम्बर में आबादी भूमि खसरा नं0 173 में आई हुई है इस आबादी भूमि के उत्तर में गै0 मु0 सड़क खसरा नं0 52 आकर मिलती है व इस आबादी भूमि के उत्तरी सीमा के सामानान्तर उटाम्बर संतोड़ा रोड़ चलती है। सड़क खसरा नं0 52 के पश्चिम में खसरा नं0 51/2 आबादी भूमि स्थित है व इसी प्रकार एक और सड़क खसरा नं0 235 गै0 मु0 नाड़े में से चलकर आबादी में से होती हुई आगे जाती है। हाल ही में ग्राम पंचायत उटाम्बर द्वारा खसरा नं0 51/2 व सड़क खसरा नं0 52 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:33 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नं0 235 में बनी हुई सड़क की भूमि को सम्मिलित करते हुए चार दिवारी बनाने की योजना बनाई। अतः पट्टे वाली भूमि पूर्णतः आबादी भूमि नहीं है। निगरानीधीन पट्टे पर कोई मिसल नम्बर नहीं है तथा पट्टे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है। संधारित मिसल में कोई दिनांक अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण लिखा गया है। आपत्तियाँ आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 06.02.2004 को जारी हुआ जबकि पट्टा इससे पूर्व दिनांक 19.09.2002 को जारी कर दिया गया जो पूर्णत विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे बतलाया कि ग्राम पंचायत द्वारा 6828.55 वर्गगज का निःशुल्क सार्वजनिक गायों का गवाड़ मार्फत ग्राम पंचायत उटाम्बर को दिनांक 19.09.2002 को जारी किया गया जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 162 के तहत सरकारी संस्थाओं की आबादी भूमि का आवंटन :– (1) पंचायत आबादी क्षेत्र के भीतर 500 वर्ग गज तक की भूमियाँ, संबंधित जिला परिषद् द्वारा पुष्टि किये जाने के अध्यधीन विद्यालय, औषधालय, आंगनबाडी, को निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। (2) कोई भी अन्य निःशुल्क या रियायती कीमत पर आवंटन केवल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही किये जायेगे। वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.04.2017 संख्या एफ.4(54)पट्टा अभि/विधि/पंरा/2017/271 के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 162 (2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग किसी भी सरकारी कार्यालय के भवन हेतु 500 वर्ग गज तक संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा, 500 से अधिक एवं 1000 वर्ग गज तक संबंधित पंचायत समिति की पूर्वानुमति से एवं 1000 वर्ग गज से अधिक भूमि का निःशुल्क आवंटन संबंधित जिला परिषद की पूर्वानुमति से किये जाने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को अधिकृत किया जाता है। उक्त प्रकरण में निगरानीधीन पट्टा दिनांक 19.09.2002 को जारी करते समय राज्य सरकार से कोई पूर्वानुमोदन नहीं लिया गया। अतः निगरानीधीन पट्टा नियम विरूद्ध व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने तथ्यों से परे जाकर बहस की है। दिनांक 11.01.2022 की रिपोर्ट व नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि [illegible] खसरा नं0 173 आबादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:33 IST
Reason: SelfAttested

भूमि का ही पट्टा है। निगरानीधीन पट्टे में वर्णित भूमि गांव की बेशकीमती व महत्वपूर्ण भूमि है जिस पर भूमाफियों की नजर है। निगरानीधीन पट्टा सार्वजनिक गायों का गवाड़ हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जारी किया गया है। पूर्व सरपंच ने विधिक कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किया। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अतिक्रमी थे अतः प्रार्थीगण को अपीलाधीन पट्टे की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थीगण ने स्वच्छ हाथों से पंचायत निगरानी पेश नहीं की है जो निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि दिनांक 28.04.2000 की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया। पंचायत ने ग्राम व जनहित में गायों के गवाड़ के लिए पट्टा जारी किया। गांव के सार्वजनिक हितार्थ चारदिवारी के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई लेकिन प्रार्थीगण ने न्यायालय में निगरानी पेश कर स्थगन आदेश ले लिया। चारदिवारी बनाने का उद्देश्य मात्र बेशकीमती जमीन को भूमाफियों से सुरक्षित रखना है। ग्राम पंचायत ने जनहितार्थ व गांव के विकास के लिए भूमि ग्राम पंचायत को ही दी है। दिनांक 19.09.2002 के प्रस्ताव संख्या 06 में ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है तथा आपत्ति नोटिस में दिनांक 06.04.2004 अंकित होना लिपिकीय त्रुटि है। मिसल नम्बर नहीं होना मात्र तकनीकी त्रुटि है। बदले की भावना से निगरानी याचिका पेश की है जो खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार बालेसर ने दिनांक 09.03.2022 को लिखित जवाब पेश कर बतलाया कि ग्राम उटाम्बर का खसरा संख्या 173 रकबा 72.04 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में गै0 मु0 आबादी दर्ज है इसके उत्तर दिशा में खसरा संख्या 52 रकबा 12.10 बीघा गै0 मु0 रास्ता दर्ज है। इस आबादी भूमि के उत्तरी सीमा के सामानान्तर उटाम्बर–सन्तोडा रोड़ चल रही है। यह सड़क ग्राम उटाम्बर के खसरा संख्या 173 गै0 मु0 आबादी भूमि में है। खसरा संख्या 52 के पश्चिम में खसरा संख्या 51/2 गै0 मु0 आबादी दर्ज है। इसी खसरे में राउमावि उटाम्बर संचालित होता है। खसरा संख्या 235 गै0 मु0 नाडी में से खसरा संख्या 235/1 गै0 मु0 सड़क दर्ज है जो आबादी भूमि में से होगर आगे जाती है।

प्राथीगण के अधिवक्ता ने पुनः बहस में बतलाया कि किसी भी तर्क का उचित जवाब अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा नहीं दिया गया। अगर प्रार्थीगण अतिक्रमी है तो इससे पट्टा सही नहीं हो जाता। ग्राम [illegible] द्वारा पट्टा विलेख जारी करने के नियम बने है, उन नियमों [illegible] पालना नहीं की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:33 IST
Reason: SelfAttested

निगरानीकर्ता व्हीसलब्लोअर है जिन्होनें विधि विरूद्ध जारी पट्टे की जानकारी होने पर न्यायालय में निगरानी पेश की है। अतः पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टे को निरस्त फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। यह तथ्य निर्वावादित है कि ग्राम पंचायत उटाम्बरा द्वारा दिनांक 19.09.2002 जो पत्रावली संख्या नील में कार्यवाही करते हुए पट्टा संख्या 11 निःशुल्क कुल 6828.55 वर्गगज का सार्वजनिक गायों का गवाड़ मार्फत ग्राम पंचायत उटाम्बर द्वारा जारी किया गया। प्रथमतः ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त मूल रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपीलाधीन पट्टा 6828.55 वर्गगज का राज्य सरकार के बिना किसी पूर्वानुमोदन के जारी किया गया जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 162 के तहत सरकारी संस्थाओं की आबादी भूमि का आवंटन :– (1) पंचायत आबादी क्षेत्र के भीतर 500 वर्ग गज तक की भूमियाँ, संबंधित जिला परिषद् द्वारा पुष्टि किये जाने के अध्यधीन विद्यालय, औषधालय, आंगनबाडी, को निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। (2) कोई भी अन्य निःशुल्क या रियायती कीमत पर आवंटन केवल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही किये जायेगे। वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.04.2017 संख्या एफ.4(54)पट्टा अभि/विधि/पंरा/2017/271 के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 162 (2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग किसी भी सरकारी कार्यालय के भवन हेतु 500 वर्ग गज तक संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा, 500 से अधिक एवं 1000 वर्ग गज तक संबंधित पंचायत समिति की पूर्वानुमति से एवं 1000 वर्ग गज से अधिक भूमि का निःशुल्क आवंटन संबंधित जिला परिषद की पूर्वानुमति से किये जाने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को अधिकृत किया जाता है। द्वितीयत पट्टा जारी करते समय जो मिसल संधारित कर कार्यवाही की गई उसमें किसी भी कार्यवाही की दिनांक अंकित नहीं है तथा जो आपत्ति का नोटिस जारी किया गया उसकी दिनांक 6.2.2004 है जबकि पट्टा इससे पूर्व दिनांक 19.09.2002 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया जो निगरानीधीन पट्टे के विधि अनुसार जारी होने पर संशय उत्पन्न करता है। अप्रार्थी संख्या 01 की मुख्य आपत्ति रही कि पंचायत द्वारा उक्त पट्टे [illegible] के चारों और दीवार का निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:33 IST
Reason: SelfAttested

करवाया जा रहा है जिसके लिए अनुदान राशि भी सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है।

उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम पंचायत उटाम्बर द्वारा दिनांक 19.09.2002 को जारी पट्टा संख्या 11 निःशुल्क कुल 6828.55 वर्गगज का सार्वजनिक गायों का गवाड़ ग्राम उटाम्बर चौक ग्राम पचांयत उटाम्बर को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत उटाम्बर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पंचायतीराज अधिनियम, 1994 व पंचायतीराज नियम, 1996 की पूर्ण पालना करते हुए पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में पुनः नये सिरे से कार्यवाही करें। दिनांक 28.01.2022 को जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। ग्राम पंचायत उटाम्बर ग्राम पंचायती की आबादी भूमि व सार्वजनिक हितों की रक्षार्थ स्वीकृत चारदीवारी निर्माण कार्य ग्राम पचांयत की केवल आबादी भूमि पर चारदीवारी निर्माण कार्य हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:33 IST
Reason: SelfAttested